>

Title: Regarding reported irregularities in Aircel-Maxis deal.

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): मैडम, सन् 2006 में हमारे देश की एक टेलीफोन कंपनी थी जिसका नाम था एयरसैल, उसने अपनी कंपनी को मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस के हाथों बेच दिया और यह सौदा करीब 4000 करोड़ रुपये का था। जब से यह डील हुई, तब से आज तक यह डील भयंकर विवाद का विषय बनी रही है। विवाद के तीन-चार मुख्य बिन्दु हैं। विवाद का पहला विषय यह है कि किस परिस्थिति में भारतीय कंपनी ने विदेशियों को अपने शेयर बेचे। उसके विस्तार में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उसकी जाँच कहीं और हो रही है। विवाद का दूसरा विषय यह बना कि उस समय के सरकारी नियम के अनुसार भारतीय कंपनी में विदेशी पूँजी 74 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। आज भी वही नियम है, लेकिन जिस मलेशियन कंपनी मैक्सिस ने इसको खरीदा, उसने मलेशिया के स्टॉक एक्सचेन्ज में यह रिपोर्ट दी, यह घोषणा की कि उसने इस कंपनी में 99.3 परसेंट शेयर खरीद लिये हैं। 99.3 परसेंट शेयर कैसे खरीदे, जबकि सीमा 74 परसेंट की थी? ऐसे डॉक्यूमैंट्स हैं जो पूव करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की घोषणा बोरसे मलेशिया में की। उसके बाद उन्होंने इसका जो एक्सैस था, जो अधिक था, उसको सस्ते दाम पर किसी भारतीय को दे दिया। यह भी जाँच का विषय है।

अध्यक्ष महोदया, इसमें एक बात सामने आई है और आप जानती हैं कि मैं कई दिनों से इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति मांगता रहा हूँ क्योंकि अखबारों में यह विषय छपता रहा। मुझे अफसोस है यह कहते हुए क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो हमारी संसदीय परंपराएँ हैं, संसद की परंपराएँ रही हैं, उसका इसमें घोर उल्लंघन हुआ है। हमें इस विषय को उठाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन जब अखबारों में यह खबर छपी तो वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करके अपनी सफाई पेश की। विषय यह था कि फॉरेन इनवैस्टमैंट प्रमोशन बोर्ड की स्वीकृति 2006 में इस डील को मार्च के महीने में मिली या अक्तूबर के महीने में मिली। यह एक विवाद का विषय है। लेकिन सदन में यह विषय नहीं आया, क्योंकि मुझे तथा अन्य सदस्यों को यह विषय उठाने की अनुमति नहीं मिली। जब संसद चल रही है, तब वित्त मंत्रालय अलग से इसके बारे में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करके सफाई पेश कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने जो सफाई पेश की है, जो तथ्य रखे हैं, उसको मीडिया ने चैलेन्ज किया है और कहा है कि वित्त मंत्रालय गलतबयानी कर रहा है। यह सही नहीं है कि यह एफ.आई.पी.बी. का अप्रूवल मार्च में मिला। यह एफ.आई.पी.बी. का अप्रूवल 2006 के अक्तूबर महीने में मिला। उन्होंने इसके बारे में जितने डॉक्यूमैंट्स हैं, उनको भी देश के सामने रखा है। अब यह विवाद कि मार्च में मिला या अक्तूबर में मिला, यह गंभीर विवाद क्यों हो गया? यह गंभीर विवाद इसलिए हो गया कि इसी बीच में उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उनके सुपुत्र ने इस कंपनी के पाँच परसेंट शेयर खरीद लिये। उनके सुपुत्र ने पांच परसेंट शेयर इस कम्पनी के ले लिए, खरीद लिए। किस कीमत पर खरीदे, कुछ पता नहीं है? मैं मानता हूं कि यह अभी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि उनको शेयर जो पांच परसेंट दिए गए, वह मार्च के पहले दिए गए या मार्च के बाद दिए गए, अक्टूबर के पहले दिए गए, मार्च और अक्टूबर के दरम्यान में दिए गए, नहीं दिए गए, मैं यह मानता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि प्रोप्राइटरी के प्वाइंट ऑफ व्यू से, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सीबिलीटी के प्वाइंट ऑफ व्यू से, हमारी परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, क्या यह सही था कि इस प्रकार की डील हो? जिसमें उस समय के मंत्री जो एफआईपीबी के चेयरमैन हैं, जो इन सौदों को अप्रूव करते हैं, उनके पुत्र इसमें पांच परसेंट शेयर ले लें! यह कॉनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट है और आप जानती हैं कि सदन में जब भी कॉनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट होता है तो सदस्य को खड़े हो कर कहना पड़ता है कि कॉनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट है और इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे। सरकार में एक परम्परा है, जिस परम्परा के अनुसार अगर मंत्री महसूस करते हैं कि कॉनफलिक्ट ऑफ इंटरैस्ट है तो वे अपने को रैक्यूज़ कर लेते हैं, यानी की उससे अपने को अलग कर लेते हैं कि हम इस विषय से या इस फाइल से डील नहीं करेंगे। यहां इस तरह की कोई बात नहीं हुई और उस समय के वित्त मंत्री ने चाहे मार्च में, चाहे अक्टूबर में इस डील को अपनी मंजूरी दी, एफआईपीबी के चेयरमैन की हैसियत से।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता, वित्त मंत्री महोदय, जो इस पूरे विषय से संबंधित हैं, वह इसके बारे में वित्त मंत्रालय का और सरकार का पक्ष रखेंगे तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वह सही हुआ या गलत हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमाफेसी जो कुछ हुआ है, वह इस देश में एक भयंकर घोटाला हुआ है। ...(व्यवधान) सरकार को पूरी तरह से खुलकर सामने आना चाहिए और इस बात के ऊपर पर्दा नहीं डालना चाहिए। यही मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :

श्री शिवकुमार उदासी,

श्री एम.बी. राजेश,

श्री शिवराम गौडा,

श्री वीरेन्द्र कुमार एवं

श्री उदय सिंह अपने को श्री यशवंत सिन्हा जी के द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

Shri Bishnu Pada Ray.

...(*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I have also given the notice of Adjournment Motion on the same issue...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have already called Shri Bishnu Pada Ray.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : हमने श्री विष्णु पद रे का नाम बोलने के लिए बुला लिया है।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is 'Zero Hour'. Let us have it as a Zero Hour'. Please do not convert it into Discussion under Rule 193.

...(*Interruptions*)